CNR NO.UPSN010004902026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–147/2026

अंकित पाठक उर्फ अनुज पाठक पुत्र महेश पाठक, निवासी–सरई पटखानी, थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही । ....अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन

मुकदमा मु०अ०सं०–314/2021
धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०
धारा–3(1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही।

दिनांक 02.04.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त अंकित पाठक उर्फ अनुज पाठक पुत्र महेश पाठक, निवासी–सरई पटखानी, थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही, का नियमित जमानत पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–314/2021 धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० व 3 (1) द, ध एस.सी. / एस.टी. एक्ट, थाना–गोपीगंज, जिला भदोही, सुना गया। प्रार्थी/ अभियुक्त 09.02.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसको उक्त अपराध में असत्य व मनगढ़न्त कथानक के आधार पर वादिनी मुकदमा द्वारा ईर्ष्या व विद्वेष से प्रेरित होकर साजिशन फँसाया गया है जिसमें कोई वास्तविकता व सत्यता नहीं है। वह तथा वादिनी मुकदमा एक ही गाँव के निवासी हैं तथा उसकी उसी गाँव एवं निकटवर्ती गाँवो में कृषिक भूमि के रूप में सम्पत्तियाँ हैं, जिनमें वह एवं उसका परिवार कृषि कार्य करते हैं। उक्त सम्पत्तियों में से एक कृषिक भूमि वादिनी मुकदमा के निवास के निकट स्थित है। दिनांक 05.07.2021 को प्रातः लगभग 8 बजे, जब वह अपने उक्त खेत की सामान्य देखरेख के क्रम में फसल देखने गया, तो उसने देखा कि अनेक पशु खेत की फसल को खा रहे थे। तब उसने उन पशुओं को खेत से बाहर खदेड़ा, जिसके पश्चात वे पशु वादिनी मुकदमा के घर के द्वार पर जाकर रुक गए। उसके द्वारा पूछताछ करने पर वादिनी मुकदमा के परिवारजनों ने बताया कि उक्त पशु उन्हीं के हैं। जब उसने यह कहा कि इन पशुओं को बाँधकर रखा जाए क्योंकि वे फसल को क्षति पहुँचा रहे हैं, तब वादिनी मुकदमा के परिवारजन उससे मारपीट पर आमादा हो गए तथा धमकी दी कि वह इस आराजी में खेती न करे और इसे पशुओं के चरने के लिये छोड़ दे, अन्यथा वे खेत को चरागाह बना देंगे तथा उसे एवं उसके परिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत झूठे मुकदमे में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। वादिनी मुकदमा के परिवारजनों के उक्त व्यवहार से क्षुब्ध होकर, जब उसने स्थानीय थाना गोपीगंज में घटना की सूचना दी, तो पुलिस द्वारा उसको थाना में बैठा

लिया गया तथा वादिनी मुकदमा के परिवारजनों को थाने बुलाया गया। वादिनी मुकदमा व उनके परिजन थाने आए तो थाना द्वारा खेती को नुकसान न पहुँचाने हेतु वादिनी मुकदमा व उनके घर वालों को कहा गया, किन्तु वादिनी मुकदमा व उनके घर वाले ऐसा करने से इनकार कर दिये और किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हुए तथा अपनी पूर्व धमकियों पर अड़े रहे तो थाना गोपीगंज द्वारा अगले दिन अर्थात 06.07.2021 को शान्ति भंग की आशंका दर्शाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107/116 के अन्तर्गत उसको उपजिलाधिकारी, ज्ञानपुर, जनपद भदोही के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ प्रार्थी उसने जमानत कराई। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई घटना घटित ही नहीं हुई। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ही थाना गोपीगंज द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी, इसके बावजूद थाना गोपीगंज द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई तथा विवेचना अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध त्रुटिपूर्ण आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त घटना के लगभग दो वर्ष पश्चात दिनांक 04.09.2023 को उसको विचाराधीन आपराधिक वाद के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह न्यायालय गया और उक्त वाद की जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 05.09.2023 को आर्डरशीट, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोपपत्र की सत्य प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया, जिन्हें प्राप्त करने के उपरान्त उसने उक्त वाद में तलबी के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या 12088 सन 2023, अंकित पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि दाखिल किया। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व वास्तविकता में भिन्नता है। कथित घटना दिनांक 05.07.2021 में घटना का कोई विशिष्ट समय अंकित नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.07.2021 को समय 13:41 बजे दर्ज की गई है और उसी दिनांक को उसका चालान किया गया है तथा उसके चालान के बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज की गयी है जबकि वह दिनांक 05.07.2021 को दोपहर से ही थाना में बन्द था। वह घर पर दिनांक 06.07.2021 को नहीं था तो घटना कारित नहीं कर सकता था। यह कि उसने वादिनी मुकदमा अथवा उनके भतीजे अभिषेक को मारा–पीटा नहीं है न तो गाली दिया है तथा उसने वादिनी मुकदमा को धमकी नहीं दिया है न तो वादिनी मुकदमा के प्रति जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया है बल्कि वह निर्दोष है और प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि थाना गोपीगंज पूर्व से ही उसके प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त था तथा उसकी शिकायत पर न तो वादिनी मुकदमा के परिवारजनों के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई, बल्कि मात्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107/116 के अन्तर्गत चालान जारी कर प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। उसकी शिकायत को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा वादिनी मुकदमा के परिवारजनों के राजनैतिक प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है जो उसके विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही है। उसको हैरान परेशान करने के लिये उस पर असम्यक असर डालने के लिये वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट किया गया है, यह कि उपर्युक्त परिस्थितियों में, जब उसको दिनांक 05.07.2021 की प्रातः थाना गोपीगंज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तथा लगभग 32 घण्टे तक वह पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहा, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा वादिनी मुकदमा एवं अभिषेक को मारपीट किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा

आपराधिक अपील संख्या 12088 सन 2023, अंकित पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2025 में इस आशय का निर्देश दिया गया है कि यदि प्रार्थी आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसका जमानत प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार विचारित एवं निस्तारित किया जाएगा। उक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया जाता है। वह निर्दोष है और उचित जमानत/मुचलका देने के लिये तैयार व रजामन्द है। उसके द्वारा कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है बल्कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय न्यायालय द्वारा उसको जमानत दी जाती है तो वह उक्त जमानत का कत्तई दुरुपयोग नहीं करेगा और न तो वह उक्त वाद व अपराध के सम्बन्ध में किसी जाँच साक्ष्य अथवा साक्षी को ही प्रभावित करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित व नियत दिनांक पर अथवा बुलाए जाने पर न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उसको उचित जमानत व मुचलका पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उसको उचित जमानत व मुचलका पर रिहा करने की कृपा ताकि न्याय हो ।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थनी मीरा देवी पत्नी हरिशंकर ग्राम सभार सरई पठखानी थाना गोपीगंज जिला भदोही की मूल निवासिनी है। दि0 5.7.21 को घर पर वह अकेली थी इसी बीच उसके ही गांव के अंकित पाठक पुत्र महेश पाठक, निवासी सरई पठखानी उसके भतीजे अभिषेक पुत्र रामप्रसाद को दौड़ा दौड़ाकर डन्डे से मारे जिससे उसके पुरे शरीर और हाथ में काफी चोटे आई है उसे बचाने के लिये गयी वह गई तो उसे भी मारा पीटा और गन्दी गन्दी गाली दिये और जान मारने की धमकी देते चले गये। उपरोक्त सूचनानुसार सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है। जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेगा। जमानत के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने घटना दिनांक व समय को वादिनी मुकदमा व उसके भतीजे के साथ मार पीट की, उन्हें गाली दी, जाति सूचक शब्दों से सार्वजानिक स्थान पर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अंतरिम जमानत पर है, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित पाठक उर्फ अनुज पाठक पुत्र महेश पाठक,

निवासी–सरई पटखानी, थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–314/2021 धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० व 3 (1) द, ध एस.सी. / एस.टी. एक्ट, थाना–गोपीगंज, जिला भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 25,000/– रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 02.04.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.04.15 11:03:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court